न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/30

तारीख दायर :– 06/06/2018

उनवान

1. प्रभू पुत्र नाथा जाति मीना
2. लाला पुत्र नाथा जाति मीना निवासियान ग्राम हींसला तहसील थानागाजी अलवर राजस्थान। – प्रार्थीगण।

बनाम

1. जयराम पुत्र रेवड जाति मीना
2. भहरूसहाय पुत्र साधूराम जाति मीना निवासी ग्राम हींसला पुलिस थाना थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण।

‖ दरख्वास्त वास्ते पत्थर गढी हेतु अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत ‖

उपस्थिति :–

1.श्री रामफल मीना एडवोकेट प्रार्थीगण।

2.श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक:– 04.06.19

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका आराजी हाल खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.1300 हैक्टेयर स्थित चली आती है। जिस आराजी सालिम में मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका प्रार्थीगण का कब्जे काश्त खातेदारी का कुल 1/4 हिस्सा बैहिस्सा बराबर कब्जे काश्त खातेदारी का स्थित चला आता है। जिस हिस्से आराजी उक्तानुसार पर मौके पर प्रार्थीगण बैहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज मालिक एवं दाखिल रहकर कार्यकाश्त उपयोग उपभोग करते चले आते है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की उक्तानुसार वर्णित हिस्से आराजियात से प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण या अन्य किसी का कोई लेना देना संबंध सरोकार किसी किस्म का नही है। मौके पर प्रार्थीगण उक्तुनसार हिस्से आराजी पर बैहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज रह कर बैदस्तूर कार्यकाश्त कर रहे है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की पैमाईश प्रार्थीगण ने दिनांक 01/06/2016 को आदेश तहसीलदार थानागाजी क्रमांक 1899 दिनांक 30.05.2016 की अनुपालना में नियमानुसार करवाली है। जिससे पैमाईश के मुताबिक मौके पर मुताबिक मौका प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज एवं दाखिल रहकर कार्यकाश्त बैदस्तूर कर रहे है। जिस पैमाईश की नकल प्रार्थना पत्र हाजा के साथ सलंग्न है।

अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत दो बडे ही लडाकू व खूंखार किस्म के व्यक्ति है, जो प्रार्थी की आराजी के पडोसी काश्तकार है, जो हर साल बुआई जुताई के समय जबरन लठ के बल पर प्रार्थीगण की उक्तानुसार खातेदारी आराजी को दबाते रहते है एवं ट्रेक्टर हल बैल आदि से प्रार्थीगण की आराजी को फॉसकर अपने कब्जे में लेने की जुस्तजू करते रहते है।

दिनांक 01.06.2018 को समस्त अप्रार्थीगण उक्त आराजी में मौके पर आये, ओर आते ही एलानियॉ कहा कि हम तुम्हारी पैमाईश के चिन्हों को उखाड कर रहेगें व तुम्हारी आराजी को दबाकर, हमारी आराजी में मिलाकर तुमको मौके पर से बेदखल करके रहेगें, जिससे ऐसी स्थिती में उक्तुनसार पैमाईश शुदा प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की हिस्से आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। जिस हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया\अप्रार्थीगण 1 ला.2 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा. 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट. द्वारा वकालत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा 2 की ओर से जवाब प्रा. पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की पूर्व में पैमाईश करवाई गई। जिसको अप्रार्थीगण द्वारा नही माना गया है। ओर आराजी खातेदारी पर जबरन लठ के बल के जोर पर कब्जा करते है। अप्रार्थीगण मुठ मर्द व झगडालू किस्म के व्यक्ति है। आराजी सालिम में मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका प्रार्थीगण का कब्जे काश्त खातेदारी का बैहिस्सा बराबर चला आता है। अतः आराजी पर प्रार्थीगण अपनी हिस्से आराजी उक्तानुसार बैहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज मालिक एवं दखल रहकर कार्यकाश्त उपयोग व उपभोग करते चले आते है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण की उक्तानुसार वर्णित हिस्से आराजीयात से प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण या अन्य किसी का कोई लेना देना संबध सरोकार

Scanned by CamScanner

किसी किस्म का नही है। मौके पर प्रार्थीगण उक्तानुसार हिस्से आराजी पर बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज रह कर बेदस्तूर कार्यकाश्त कर रहे है। इसलिये पत्थर गढी करवाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थर गढी करने के आदेश बयान करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि प्रा. पत्र का जिम्मन नं. 1 स्वीकार है। तथा जिम्मन नं. 2 लगा. 6 अस्वीकार है। एवं जिम्मन नं. 7 स्वीकार है। जिम्मन नं. 8 कानूनी है। व जिम्मन नं. 9 गलत है म्याद बहार है। ये कहना गलत है, हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर लठ व बल के जोर पर कब्जा करते व बेदखल करते है तथा ये भी कहना गलत है कि हमने प्रार्थीगण को बुआई जुताई में परेशान करते है। ये कहना कतई गलत है कि हम लोग प्रार्थीगण को उक्त आराजी में पूर्व में जो पैमाईश करवाई थी उसके सीमा चिन्हो को मिटाते है। व उनको नही मानते है। प्रार्थीगण की विवादित आराजी की पत्थर गढी कर दी जावे तो हम प्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता 330 हाल खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.1300 है0 वाकै ग्राम हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से प्रार्थीगण उक्त के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। और मोके पर पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा सीमाज्ञान करवाया जा चूका है। अब वादीगण पत्थर गढी करवाना चाहते है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत एवं खातेदार को पत्थर गढी करवाने के अधिकार है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के बाबत पत्थर गढी अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.1300 है0 वाकै ग्राम हींसला तहसील थानागजी जिला अलवर की मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थर गढी कर सीमाज्ञान करावे। अहकाम बनाम तहसीलदार थानागाजी जारी हो। पालना रिपार्ट तलब हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner